<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 34ए / 17</u> संस्थापन दिनांक:— 27.07.2017 <u>फाईलिंग नं. 24 / 2017</u>

- 1. रामकिशोर पिता चिरोंजी, उम्र 42 वर्ष
- लक्ष्मीनारायण पिता चिरोंजी, उम्र 29 वर्ष दोनों निवासी सेमिरया खुर्द, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

....<u>वादीगण</u>

वि रू द्ध

- 1. रामकलीबाई पति शिव यादव, उम्र 45 वर्ष
- 2. दुरपतीबाई पति कमल, उम्र 38 वर्ष क. 1 व 2 निवासी सेमरिया खुर्द, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. भागवतीबाई पति अन्नू, उम्र 35 वर्ष निवासी नरेरा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. नामदेव पिता साबू यादव
- 5. रघुनाथ पिता नामदेव यादव
- 6. पिंकी पिता नामदेव यादव
- 7. गुड्डी पिता नामदेव यादव
- गजराज पिता नामदेव यादव
 क. 4 से 8 निवासी काजी जामठी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 9. बुद्धू पिता बिसन यादव
- 10. गोडनबाई पिता बिसन यादव
- 11. जसोदीबाई पिता बिसन यादव
- 12. सुनील उर्फ सम्पत पिता बिसन यादव क. 9 से 12 निवासी काजी जामठी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीग<u>ण</u>

<u> -: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 30.11.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पिता चिरोंजी एवं उनके भाई बिसन के द्वारा दिनांक 18.03.1983 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 44/1, 156/1, 159, 163, 169 कुल रकबा 8.142 हे. क्रय किया गया था, जिसमें चिरोंजी एवं बिसन का आधा-आधा हिस्सा था। वादीगण के पिता चिरोंजी एवं बिसन का आपस में मौखिक विभाजन हो गया था। चिरोंजी के द्वारा अपने हक हिस्से एवं आधिपत्य की आधे अंश की भूमि वादीगण के पक्ष में दिनांक 29.09.2007 को वसीयत कर दी गयी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 01. 10.2007 को कराया गया। वर्तमान में चिरोंजी एवं बिसन दोनों की मृत्यू हो चुकी है। वसीयतनामे के आधार पर वादीगण ने नामांतरण कराये जाने हेतृ तहसीलदार आमला के यहां आवेदन पेश किया था जिस पर उनका नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये गये परंतु प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार आमला को पक्षकारों को सुनवायी का उचित अवसर देने के उपरांत आदेश पारित करने के आदेश किये गये हैं। चिरोंजी को विवादित भूमि वसीयत किये जाने का पूर्ण अधिकार था। वसीयत के पश्चात से वादीगण वसीयत की गयी भूमि पर आधिपत्य में है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर कब्जा करने एवं उसे विकय करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार किया जावे ।
- प्रतिवादी क. 01 से 05 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर यह लेख किया गया कि विवादित भूमियां चिरोंजी एवं बिसन की क्रय शुदा भूमि न होकर खानदानी पैतृक भूमि है जिनका कोई बंटवारा भी नहीं हुआ है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा झूठा, फर्जी एवं कूटरचित है। वादी के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश को भी अनुविभागीय अधिकारी मुलताई एवं आयुक्त नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा निरस्त कर दिया गया। विवादित भूमि पर चिरोंजी की मृत्यु उपरांत उसके द्वारा छोड़ी गयी भूमि पर सभी वारसानों का बराबर—बराबर हिस्सा है। विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण शामिल शरीक होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। विवादित भूमि प्रतिवादीगण के जीविकोपार्जन का जिया है। अतः यदि उन्हें आधिपत्य से बेदखल किया जाता है तो वादीगण की तुलना में प्रतिवादीगण को अत्यधिक क्षति होगी। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।
- 4 प्रतिवादी क. 12 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब ना देना व्यक्त करते हुए मात्र मौखिक विरोध प्रकट किया गया है।
- 5 प्रकरण में प्रतिवादी क. 06 से 11 एवं 13 को विधिवत तामिली

उपरांत भी न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

- 6 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
 - क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षिति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

- गदी ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि विवादित संपत्ति वादीगण के पिता चिरोंजी तथा उनके भाई बिसन के द्वारा रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1883 द्वारा क्रय की गयी थी जो कि चिरोंजी एवं बिसन की स्वअर्जित भूमि है, जिसमें दोनों भाईयों का आधा—आधा हिस्सा निहित था और आपस में मौखिक विभाजन भी विवादित संपत्ति का हो गया था। विवादित भूमि में से चिरोंजी के हिस्से में जो आधा हिस्सा आया था उसकी वसीयत चिरोंजी के द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 29.09.2007 को कर दी गयी जिसके आधार पर वादी विवादित संपत्ति के आधे भाग के स्वत्वाधिकारी हैं। प्रतिवादी कृ. 01 से 08 चिरोंजी के वानसान हैं परंतु वसीयत हो जाने के कारण अब उनका विवादित संपत्ति के आधे भाग पर कोई हित नहीं है।
- 8 जबिक प्रतिवादी क. 01 से 05 ने अपने जवाब में यह लेख किया है कि विवादित भूमियां चिरोंजी की स्वअर्जित भूमियां न होकर पैतृक भूमियां है जिनका बंटवारा भी नहीं हुआ है। वसीयतनामा फर्जी एवं कूटरचित है तथा वसीयतनामा के आधार पर वादीगण ने तहसील न्यायालय में जो नामांतरण का आवेदन दिया था उस पर हुए आदेश को भी अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज है। चिरोंजी के द्वारा छोड़ी गयी भूमि पर उसके सभी वारसानों का बराबर—बराबर हक है तथा प्रतिवादीगण भी विवादित भूमि के आधिपत्य में है।
- 9 वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र तथा दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2009—10 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से विवादित भूमियां वादीगण तथा प्रतिवादी क. 09 से 13 के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। वादी के द्वारा अपने आवेदन में विवादित भूमियों का चिरोंजी एवं बिसन के द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से क्य कर स्वअर्जित होना बताया है परंतु अभिलेख पर विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही

विवादित भूमियों का चिरोंजी एवं बिसन के बीच में विभाजन होना भी बताया है लेकिन वादी की ही ओर से प्रस्तृत दस्तावेज किश्तबंदी, खसरा के अवलोकन से विवादित भूमियां वादीगण तथा प्रतिवादी क. 09 से 12 जो कि बिसन के वारसान हैं, संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रही है। वादीगण ने अपने पिता चिरोंजी के द्वारा विवादित भूमि के आधे अंश की भूमि उनके पक्ष में वसीयत करना बताया है परंतु वसीयतनामा दिनांक 29.09.2007 भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि में से कौन से भूमियां एवं उसका कितना अंश / रकबा वादीगण के पक्ष में वसीयत किया गया। यद्यपि वादीगण ने वसीयतनामा रजिस्टर्ड होना आवेदन में लेख किया है परंतू वसीयतनामा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि वादी के द्वारा स्वयं प्रतिवादी क. 01 से 08 को चिरोंजी के वारसान होना बताया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यदि वसीयतनामे का अभाव हो तो वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 से 08 चिरोंजी के हक हिस्से की भूमि पर बराबर अंश के स्वत्वाधिकारी होंगे। वादी के द्वारा ऐसे भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि उसे वसीयत की गयी भूमियों पर एकमात्र वादीगण का ही आधिपत्य हो। वसीयतनामे की वैधता का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया वादी एवं प्रतिवादी क. 01 से 08 चिरोंजी की संपत्ति में बराबर अंश के स्वत्वाधिकारी होना प्रकट हो रहे हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

- 10 प्रकरण में वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रकट हो कि वादी को वसीयतनामे के माध्यम से विवादित भूमि का कितना भाग वसीयत किया गया एवं एकमात्र वादीगण का ही वसीयत की गयी भूमि पर आधिपत्य हो। जबिक प्रतिवादी क. 01 से 08 ने विवादित भूमि पर वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त शामिलाती रूप से काबिज होकर कृषि कार्य करना बताया है। राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से भी विवादित भूमियां संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रही है।
- विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टिया वादीगण एवं प्रतिवादीगण का चिरोंजी एवं बिसन के वारसान होने के नाते बराबर अंश के स्वत्वाधिकारी हैं। अत : ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, परंतु यदि प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के अंतरण से निषेधित नहीं किया जाता है और यदि वाद लंबन के दौरान विवादित भूमि का विकय प्रतिवादीगण के द्वारा कर दिया जाता है तो निश्चित ही वादी को केता को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा, जिससे कि वाद बाहुल्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः वादी को निश्चित ही इससे असुविधा होगी और उससे होने वाली क्षति प्रतिवादीगण की तुलना में अत्याधिक होगी। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

12 वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख.नं. 44/1, 156/1, 159, 163, 169 कुल रकबा 8.142 हे. स्थित ग्राम सेमिरया खुर्द तहसील आमला जिला बैतूल का विक्रय या अन्यथा अंतरण स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से ना करे।

13 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल